न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 78/2008 आवंटन नियम 14(4)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. सोहन लाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति बैरवा निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला राजस्थान
2. किशन लाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति बैरवा निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला राजस्थान

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14 (4) आवण्टन नियम—1970 विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार दौसा दिनांक 24.5.1967 जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता मूल्या पुत्र नंदा जाति बैरवा निवासी दौसा खुर्द को वाके ग्राम दौसा खुर्द में स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 535 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री सेडूराम शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 25.05.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.05.1967 को ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा के साबिक खसरा नंबर 535 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता मूल्या पुत्र नंदा जाति बैरवा निवासी दौसा खुर्द को कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार दौसा ने आवंटन नियमों की सरासर अवहेलना करके विधि विरूद्ध तरीके से फ्रॉड एवं धोखे से बिना उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना उद्घोषणा की तामील कराये व बिना कोरम पूरा किये व आवंटन सलाहकार समिति के आवश्यक सदस्य सरपंच के उपस्थित हुए बिना वाके ग्राम दौसा खुर्द स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 535 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता मूल्या पुत्र नन्दा बैरवा निवासी दौसा खुर्द को दिनांक 24.5.1967 को आवंटन कर दिया। मूल्या पुत्र नन्दा बैरवा की मृत्यु हो गयी है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध, प्रकिया नियमों के विपरीत है। आवंटन नियमों [illegible] आवंटन किया गया है। आवंटन बाबत ना तो कोई अधिसूचना जारी की गई है ना ही अधिसूचना की तामील करवाई गई है। उक्त भूमि के बारे में कोई वैकेट लैण्ड बाबत व आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की सूची बनाई गई, ना ही तहसीलदार दौसा ने स्वयं कोई जांच की गई। आवंटी द्वारा ना तो आवंटन के आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:36 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर....2 पर

पत्र के कॉलम संख्या 02 की पूर्ति नही की गई ना ही अपने पास स्थित भूमि के तथ्य को अंकित किया। आवेदन पत्र भी पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था एव ना ही सत्यापित किया गया था। आवंटन मात्र तहसीलदार व विधायक ने ही किया है। भूमि का आवंटन मात्र दो सदस्य नही कर सकते है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होना चाहिए था। तहसीलदार दौसा द्वारा आवंटन कमेटी की बैठक हेतु एक सप्ताह का बैठक का नोटिस होना चाहिए था जो जारी नहीं किया गया है। आवंटन कमेटी के सदस्यों को बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई है। सरपंच भी बैठक में उपस्थित नहीं था। सरपंच का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित होना जरूरी था। कोरम पूर्ण नहीं होने पर आवंटन किया गया है, जो निरस्त योग्य है। आवंटित की गई भूमि नगरपालिका दौसा की सीमा के अंदर है। आवंटन नियमों के तहत नगरपालिका की सीमा के अंदर स्थित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। फिर भी आवंटन सलाहकार समिति ने भूमि का आवंटन करके कानूनी गलती की है। आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटित भूमि के आधे रकबे पर प्रथम वर्ष में तथा द्वितीय वर्ष में पूरे रकबे पर काश्त करना आवश्यक होता है जिसकी आवंटी द्वारा पालना नहीं की गई है। आवंटी मूल्या व उसके वारिसान को आवंटित भूमि का आज तक भी कब्जा नहीं संभलाया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि 20 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा भूमि का आवंटन कौनसी जगह पर किया गया है। आवंटी अथवा उसके वारिसान ने आवंटन के बाबत पट्टा फीस आज तक भी जमा नहीं कराई है ना ही उक्त आवंटन के बाबत आज तक नामान्तरण खोला गया है और ना ही आवंटी को कब्जा संभलाया गया है। आवंटन की तरमीम भी नहीं हुई है। साबिक खसरा नंबर 535 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 1222 रकबा 0.10है0, खसरा नंबर 1223 रकबा 0.12है0 खसरा नंबर 1224 रकबा 0.11है0 खसरा नंबर 1225 रकबा 0.11है0 खसरा नंबर 1226 रकबा 0.17है0 खसरा नंबर 1227 रकबा 0.15है0 खसरा नंबर 1228 रकबा 0.70है0 खसरा नंबर 1233 रकबा 0.25है0 खसरा नंबर 1241 रकबा 3.08है0 बनाये गये है। उक्त साबिक खसरा नंबर 535 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा में से 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन में परिवर्तित हो गई तथा शेष रकबा नगरपालिका दौसा को डिफैन्स कालोनी हेतु आवंटित करके नगरपालिका दौसा के नाम अंकित कर दी गई। उक्त भूमि में से कोई भूमि शेष नहीं बची है। यदि रेस्पो0 सं.01 व 02 के पिता का कब्जा होता व इन्हें आवंटन का ज्ञान होता तो रेस्पो0 सं0 1 व 2 उक्त आदेशों को चुनौती देते। उक्त आदेशों को आज दिन तक भी चुनौती नहीं दी गई है। रेस्पो0 सं0 1 व 2 का आज दिन तक भी आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है, किन्तु रेस्पो0 सं. 1 व 2 कुछ भू माफियाओं से मिलकर उक्त आवंटन की आड में उक्त भूमि को अपने नाम करवाकर और प्लाटों के रूप में विक्रय करना चाहते है। आवंटन आदेश दिनांक 24.5.1967 की जानकारी तहसीलदार दौसा को नहीं थी। उक्त आवंटन आदेश के आधार पर उप जिला कलक्टर दौसा के यहाँ खारिज हुए उद्घोषणा के दावे की अपील उनवानी सोहन लाल वगै. बनाम सरकार भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ लंबित है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम पेश कर निवेदन है कि [illegible] 02 के पिता मूल्या पुत्र नंदा बैरवा निवासी दौसा खुर्द को वाके ग्राम दौसा खुर्द में स्थित साबिक भूमि खसरा नंबर 535 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि का किया गया आवंटन दिनांक 24.5.1967 को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस में दलील है कि [illegible]नगत भूमि का अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोरम में दिनांक 24.5.1967 को आवंटित की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:36 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर....3 पर

आवंटन के बाद से ही अप्रार्थीगण का आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा आज रोज तक चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के पिता मूल्या पुत्र नंदा बैरवा अनुसूचित जाति का भूमिहीन कृषक था जिसके द्वारा भूमि आवंटन हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र तत्समय पेश किया गया था। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कृषि भूमि नहीं होने का आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया था। आवंटन के समय भूमि उबड खाबड थी, जिसको आवंटन के बाद समतल करने में काफी राशि खर्च कर की गई थी। अप्रार्थीगण के पिता मूल्या को भूमि का आवंटन विधिवत तरीके से नियमों के तहत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन के बाद से ही आवंटी मूल्या व मूल्या के देहान्त के बाद अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरण नहीं खोले जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के के समक्ष एक वाद संख्या 45/2006 उनवानी सोहन लाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार पेश किया गया जिसमें हाल खसरा नंबर 1241 रकबा 3.08है0वाके ग्राम दौसा खुर्द में से 0.50है0 भूमि का खातेदार घोषित करने बाबत पेश किया गया, जिसको माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 13.9.2007 को खारिज कर दिया गया। न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 13.9.2007 की अपील माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के यहां अपील संख्या 102/07 पेश की गई। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा उक्त अपील दिनांक 27.10.2009 को स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 13.9.2007 निरस्त किया जाकर अप्रार्थीगण को साबिक खसरा नंबर 535 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1241 में से 0.50है0 का खातेदार घोषित कर दिया गया। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 27.10.2009 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 1.10.2013 के द्वारा सरकार की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील को खारिज किया जाकर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 27.10.2009 को यथावत रखा गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.10.2013 की रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। माननीय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 23.5.2016 को रिट पिटीशन को खारिज किया जाकर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 27.10.2009 को यथावत रखा गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.5.2016 की स्पेशल अपील राजस्थान सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में प्रस्तुत की गई। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत स्पेशल अपील को भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के द्वारा दिनांक 10.4.2017 को निर्णय पारित कर खारिज की जाकर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 27.10.2009 की पुष्टि की गई। स्पेशल अपील के खारिज होने के बाद आगे अपील करने अथवा नहीं करने के संबंध [illegible] 7) विभाग राजस्थान सरकार की स्थाई समिति द्वारा पत्र दिनांक 26.9.2017 [illegible] सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं करने का विनिश्चय सर्वसम्मति से प्रशासनिक स्तर पर लिया गया। अतः तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:36 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर....4 पर

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट दिनांक 29.4.2022 के अनुसार अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण ने न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के न्यायालय में खातेदारी प्रदान करने हेतु वाद दायर किया गया जिसे न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा द्वारा अपील स्वीकार की जाकर आवंटित की गई 0.50है0 भूमि का खातेदार घोषित किया गया। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से अपीले पेश करने पर समस्त अपीले खारिज हो जाने एवं राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं किये जाने का सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया। खसरा नंबर 1241 रकबा 3.08है. भूमि वर्तमान में नगरपरिषद दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। माननीय न्यायालयों के निर्णय की पालना किये जाने के लिए नगरपरिषद दौसा से अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है। विवादित स्थल की वर्तमान स्थिति खसरा नंबर 1241 में मौका अनुसार नक्शें में दर्शाये अनुसार कब्जा पाया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता मूल्या पुत्र नंदा को दिनांक 24.5.1967 को ग्राम दौसा खुर्द स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 535 में से 0.50है0 भूमि आवंटित की गई थी। साबिका खसरा नंबर 535 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 1222 रकबा 0.10है0, खसरा नंबर 1223 रकबा 0.12है0 खसरा नंबर 1224 रकबा 0.11है0 खसरा नंबर 1225 रकबा 0.11है0 खसरा नंबर 1226 रकबा 0.17है0 खसरा नंबर 1227 रकबा 0.15है0 खसरा नंबर 1228 रकबा 0.70है0 खसरा नंबर 1233 रकबा 0.25है0 खसरा नंबर 1241 रकबा 3.08है0 बनाये गये है। अप्रार्थीगण ने भूमि की खातेदारी नहीं दिये जाने पर न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा के समक्ष एक वाद संख्या 45/2006 उनवानी सोहन लाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार पेश किया गया जिसको न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 13.9.2007 को खारिज कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उपखंड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 13.9.2007 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा ने दिनांक 27.10.2009 को अपील संख्या 102/2007 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 13.9.2007 को निरस्त किया जाकर अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नंबर 535 जिसके हाल खसरा नंबर 1241 बने है में से 0.50है. का खातेदार घोषित किया गया। सरकार की ओर से माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 27.10.2009 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर मे अपील संख्या [illegible]/2011/दौसा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सोहनलाल वगै0 प्रस्तुत की गई जिसे [illegible] राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 1.10.2013 द्वारा अपील खारिज की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 27.10.2009 को यथावत रखा गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 1.10.2013 की अपील सरकार की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन सं0 17935/2015 सरकार बनाम सोहनलाल वगै0 प्रस्तुत की गई जिसे भी माननीय राजस्थान उच्च

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:36 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर....5 पर

न्यायालय द्वारा दिनांक 23.5.2016 को रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या 17935/2015 निर्णय दिनांक 23.5.2016 की स्पेशल अपील संख्या 1252/2016 राज्य सरकार की ओर से सरकार बनाम सोहनलाल वगै0 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत की गई जिसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर के द्वारा निर्णय दिनांक 10.4.2017 को खारिज की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 27.10.2009 की पुष्टि की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर से स्पेशल अपील खारिज होने पर उक्त प्रकरण में आगे अपील करने अथवा नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहे जाने पर राजस्व(ग्रुप-7) विभाग राजस्थान सरकार की स्थायी समिति द्वारा दिनांक 23.3.2021 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं करने का विनिश्चय सर्वसम्मति से प्रशासनिक स्तर पर लिया जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.4.2017 की पालना किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। इस प्रकार समस्त माननीय न्यायालयों से राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपीलें खारिज होने से एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाने से अब तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण आवंटन नियम 14(4) इस न्यायालय में चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हम तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 मई 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.15 10:11:36 IST
Reason: SelfAttested